हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

संख्याः ई.डी.एन.–बी–बी(2)–3/2013 तारीख शिमला–2, 2015

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः शिक्षा–11–(छ)6–3/ 2004– खण्ड –11, तारीख 09.10.2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्च्तर/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, पंजाबी भाषा अध्यापक, वर्ग–111 (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम्, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् ,:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, पंजाबी भाषा अध्यापक, वर्ग–III(अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

उपाबन्ध–''क'' का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश उच्च्तर /प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, पंजाबी भाषा अध्यापक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध–'क' में:–

(क) स्तम्भ संख्या–4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

(i) "नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः–
पे बैन्ड 10300–34800/–रूपए +रूपए 3200 ग्रेड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :–

13,500/– रूपए प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार "

(ख) स्तम्भ संख्याः 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(क) अनिवार्य अर्हता :

1. (1) पंजाबी एक ऐच्छिक विषय सहित, कला स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)।

या

पंजाबी एक ऐच्छिक विषय सहित, कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ, कला स्नातक तथा एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0) ।

या

पंजाबी एक ऐच्छिक विषय सहित, कम से कम पैंतालीस प्रतिशत अंकों के साथ, कला स्नातक तथा इस बाबत समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) (मान्यता सन्नियम एवं परिकिया) के विनियमों के अनुसार एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0)।

या

पंजाबी एक ऐच्छिक विषय सहित, कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ, कला स्नातक तथा एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0)(विशेष शिक्षा)।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, पचास प्रतिशत अंकों के साथ ज्ञानी सहित कला स्नातक (अंग्रेजी और एक अतिरिक्त विषय) पचास प्रतिशत अंकों के साथ, और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0)

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ एम0ए0 (पंजाबी) तथा एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0) ।

टिप्पणः

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, जिसमें स्नातक की तीन वर्षीय अवधि के दौरान पंजाबी एक विषय के रूप में हो। पंजाबी के अध्यापन के साथ बी0एड0 (राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा) औरः

(11) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा सम्यक् रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0भाषा अध्यापक) में उतीर्ण हो ।

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) पहले ही अर्हित कर ली है, वे भी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) द्वारा अधिसूचना संख्या 76–4/2010/एन.सी.टी.ई./एकैड. तारीख 11.2.2011 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा–11 में अधिकथित शर्त के अध्यधीन पात्र होंगे।

टिप्पण (1):– हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से अक्षम प्रवर्गो से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शौक्षिक अर्हताओं तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में भी पॉच प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

टिप्पण (2):– वे व्यक्ति जो बी0एड0 नहीं है और उपर्युक्त स्तम्भ संख्या 7(क)में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते है भी केवल 31 मार्च,2014 तक ही टी.ई.टी. की परीक्षा देनें हेतु छूट के पात्र होंगे

टिप्पण (3):– सुसंगत विषय में पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी भाषा अध्यापक (एल0टी0) हेतु 31 मार्च,2014 तक टी.ई.टी. की परीक्षा देने के पात्र होंगे।

टिप्पण (4):– उन पात्र अभ्यर्थियों को पूर्विकता दी जाऐगी, जो समय–समय पर यथा संशोधित एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना, तारीख 23 अगस्त, 2010 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं रखते हों और तत्पश्चात् छूट

दी गई अर्हताओं के साथ अन्य अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। यह छूट 31.3.2014 तक विधिमान्य रहेगी।

टिप्पण (5):— ऐसे अध्यापकों को जो छूट के अर्हता सन्नियमों (नार्मज) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं, को नियुक्ति के वर्ष से दो वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम् अर्हताएं प्राप्त करनी होंगी।

वांछनीय अर्हताः—

"हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता"

(ग) स्तम्भ संख्याः 15—क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगीः—

(1) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा अध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड,हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः

सम्बद्व जिला का उप निदेशक, उच्च/ प्रारम्भिक शिक्षा रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्,अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त पंजाबी भाषा अध्यापक को 13,500/— रूपये की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम

(जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/रूपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः

सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, उच्चतर/ प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकियाः—

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम इत्यादि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड,हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(Vii) निबन्धन और शर्तेः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,500/— रूपये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों मे 405/— रूपये (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के

प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) होजाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिलाऐं प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम

आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे"।

आदेश द्वारा,

अति0 मुख्य सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0ः यथोपरि। तारीख शिमला–2,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू अग्रेषित हैः–

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश–171001
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को इस आशय के साथ अग्रेषित है कि वे इस अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने की कृपा करें तथा राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा करें।
5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. सचिव हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड, हमीरपुर।
7. संरक्षक नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

अति0 सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

......

उपाबन्ध– "ख"

पंजाबी भाषा अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उच्चतर /प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री... निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य उप निदेशक /उच्च्तर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश नियुक्त प्राधिकारी का नाम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **पंजाबी भाषा अध्यापक** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार **पंजाबी भाषा अध्यापक** के रूप में.........................से प्रारम्भ होने और.................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक व**र्ष** की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.................. दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में व**र्षानुवर्ष आधार पर** विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस व**र्ष के दौरान** संतो**ष**जनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम –13500/– रू0 प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त **पंजाबी भाषा अध्यापक** एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक व**र्ष** तक संचित किया जा सकेगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाष और 5 दिन के विषे**ष** अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त **पंजाबी भाषा अध्यापक को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :**

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाष और विषे**ष** अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैन्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाऐगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अंधीकृत अनुपस्थिति के हालात , संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो, तो उसके नियमितिकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाऐगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं

होगा। परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...